भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 710

26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष औषधियों के गुणात्मक उत्पादन और वितरण

710. श्रीबलवंत बसवंत वानखडे:
श्री धर्मबीर सिंह:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री प्रदीप पुरोहित:
श्रीमती पूनमबेन माडम:
श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह:
श्री परषोत्तमभाई रुपाला:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री मुकेश राजपूत:
श्री भर्तृहरि महताब:
डॉ. निशिकान्त दुबे:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आयुष औषधियों के गुणात्मक उत्पादन और वितरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और आयुष औषधियों में अनुसंधान को व्यापक और गहन बनाने के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या गंगा नदी के तट पर आयुष पार्क विकसित करने का सरकार का कोई विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आयुष औषधियों को भारत और विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष औषधियों के गुणात्मक उत्पादन और वितरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

(i) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों में आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के लिए विशेष नियामक प्रावधान हैं। आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों से संबंधित प्रावधान, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अध्याय IVक और अनुसूची-I तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 151 से 169, अनुसूची ङ(I), म तथा म-क में निहित हैं। इसके अलावा, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की दूसरी

अनुसूची (4क) में होम्योपैथिक औषधियों के लिए मानक प्रदान किए गए हैं तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 2घघ, 30कक, 67 (ग-ज), 85 (क से झ), 106-क, अनुसूची-ट, अनुसूची ड-I होम्योपैथिक औषधियों से संबंधित हैं। विनिर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे सुरक्षा और प्रभावशीलता के प्रमाण सहित विनिर्माण इकाइयों और औषधियों के लाइसेंस के लिए निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करें, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची-म और अनुसूची ड-I के अनुसार उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) और संबंधित भेषजसंहिता में दी गई औषधियों के गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करें।

(ii) आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) की स्थापना की है। पीसीआईएम एंड एच, आयुष मंत्रालय की ओर से एएसयू एंड एच औषधियों के लिए फार्मूलरी विनिर्देश और भेषजसंहिता मानक निर्धारित करता है, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम 1945 के अनुसार इनमें शामिल एएसयू एवं एच औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण (पहचान, शुद्धता और शक्ति) का पता लगाने के लिए आधिकारिक सार-संग्रह के रूप में काम आते हैं और भारत में विनिर्मित की जा रही एएसयू एंड एच औषधियों के उत्पादन के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। इन भेषजसंहिता मानकों के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होता है कि जनसाधारण तक पहुंचने वाली औषधियां पहचान, शुद्धता और शक्ति की दृष्टि से पूर्णतया गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं। अब तक, एएसयू एंड एच में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों (पादप/पशु/खनिज/धातु/रासायनिक मूल की एकल औषधियां) पर 2259 गुणवत्ता मानक प्रकाशित किए गए हैं। पीसीआईएम एंड एच, एएसयू एंड एच औषधियों के परीक्षण या विश्लेषण के उद्देश्य से भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा, यह एएसयू एवं एच औषधियों के मानकीकरण/गुणवत्ता नियंत्रण/परीक्षण अथवा विश्लेषण हेतु औषधि विनियामक प्राधिकरणों, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं (औषधि विश्लेषक) तथा अन्य हितधारकों को एएसयू एंड एच औषधियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रयुक्त प्रयोगशाला तकनीकों और पद्धतियों पर एएसयू एंड एच औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में क्षमता वर्धन हेतु नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(iii) इसके अलावा, आयुष मंत्रालय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयुष उत्पादों के निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों को प्रोत्साहित करता है:-

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशा-निर्देशों के अनुसार औषध उत्पाद प्रमाणन योजना (सीओपीपी) के तहत आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी (एएसयू) औषधियों को भी शामिल किया गया है। यह योजना केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा प्रशासित है और यह प्रमाण-पत्र केन्द्रीय औषधि नियंत्रण संगठन, आयुष मंत्रालय और संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा आवेदक विनिर्माण इकाई के संयुक्त निरीक्षण के आधार पर प्रदान किया जाता है।
- भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा कार्यान्वित गुणवत्ता प्रमाणन योजना जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन की स्थिति के अनुसार गुणवत्ता के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के आधार पर आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी उत्पादों को आयुष मार्क प्रदान करने के लिए है।

(iv) आयुष मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2021-22 से आयुर्स्वास्थ्य योजना की केंद्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित कर रहा है। आयुर्स्वास्थ्य योजना के आयुष एवं जन-स्वास्थ्य घटक के अंतर्गत, ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों की आबादी और शहरों की मलिन बस्तियों आदि में आयुष औषधियों के वितरण और निशुल्क चिकित्सा शिविरों के आयोजन का प्रावधान है।

आयुष चिकित्सा में अनुसंधान को व्यापक और गहन बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम निम्नानुसार हैं:

(i) भारत सरकार ने वैज्ञानिक तर्ज पर आयुष पद्धति में अनुसंधान करने, उसके समन्वय, निरूपण, विकास और संवर्धन के लिए आयुष मंत्रालय के तहत शीर्ष संगठनों के रूप में केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना की है। प्रमुख अनुसंधान गतिविधियों में औषधीय पादप अनुसंधान (मेडिको-एथनो वानस्पतिक सर्वेक्षण, फार्माकोग्नॉसी और इन-विट्रो-प्रोपेगेशन तकनीक), औषधि मानकीकरण, औषधीय अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान एवं प्रलेखन तथा जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार्यक्रम शामिल हैं। देश भर में स्थित इसके परिधीय संस्थानों/इकाइयों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और संस्थानों के सहयोग से भी अनुसंधान कार्यकलाप चलाए जाते हैं।

(ii) इसके अलावा, आयुष मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2021-22 से केंद्रीय क्षेत्र योजना नामत: आयुर्ज्ञान योजना चला रहा है/कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के 03 घटक हैं अर्थात् (i) आयुष में क्षमता वर्धन और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) (ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 से आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार और iii) आयुर्वेद जैविकी एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को भी इस वित्तीय वर्ष 2023-24 से योजना के तहत जोड़ा गया है। आयुष और आयुर्वेद जैविकी एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान घटक में अनुसंधान एवं नवाचार के तहत, आयुष पद्धति में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु अनुसंधान अध्ययन के लिए संगठनों/संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) और (ग): जी नहीं।

(घ): भारत और विदेशों में आयुष औषधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(i) आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी स्कीम) को बढ़ावा देने की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना विकसित की है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता और रुचि बढ़ाने और उसे सुदृढ़ करने; आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, विकास और मान्यकरण हेतु सहायता देने; हितधारकों के बीच बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष के बाजार विकास को बढ़ावा देने; विश्व स्तर पर आयुष उत्पादों/सेवाओं/शिक्षा/अनुसंधान/प्रशिक्षण को बढ़ावा देने; विदेशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना करके शिक्षाविदों और अनुसंधान को बढ़ावा देने; विदेशी समुदायों में आयुष पद्धति के बारे में प्रामाणिक सूचना का प्रसार करने के लिए विदेशों में आयुष सूचना प्रकोष्ठ की स्थापना करने आदि का अधिदेश दिया गया है।

(ii) आईसी योजना के आयुष छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत, भारत में प्रमुख संस्थानों में आयुष पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए 102 देशों के पात्र विदेशी नागरिकों को हर साल 104 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक औषधियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 24 अलग-अलग देशों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू); सहयोगात्मक अनुसंधान/अकादमिक सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ 50 समझौता ज्ञापनों और विदेशों में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ 15 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों के तहत, आयुर्वेद शिक्षा, अनुसंधान, उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यकलाप चलाए गए हैं।

(iii) आयुर्वेद और अन्य आयुष पद्धतियों को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए जी-20, बे ऑफ बंगाल इनिसिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (बिम्सटेक), ब्रिक्स (ब्राजील, रूस,

भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका), इब्सा (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका), शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) आदि जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।

(iv) मंत्रालय आयुष, आयुष चिकित्सा पद्धति के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए आयुष सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण संवर्धन की केन्द्रीय क्षेत्र योजना (आईईसी) कार्यान्वित करता है। इसका उद्देश्य देश भर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुंचना है। इस योजना में राष्ट्रीय/राज्य आरोग्य मेलों, योग उत्सवों, आयुर्वेद पर्वों आदि के आयोजन के लिए सहायता दी जाती है। मंत्रालय आयुष पद्धति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मल्टी मीडिया, प्रिंट मीडिया अभियान भी चलाता है।

(v) केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) अपनी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के जरिए जनता के बीच आयुर्वेद पद्धति को लोकप्रिय बनाने में लगी हुई है और इसका प्रचार आम लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरोग्य मेलों, स्वास्थ्य शिविरों, प्रदर्शनियों, एक्सपो, आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 (एकेएएम 2.0) से संबंधित विभिन्न गतिविधियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष और सीसीआरएएस आउटरीच कार्यक्रमों यथा अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) अनुसंधान कार्यक्रम, जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार्यक्रम (टीएचसीआरपी), आदि के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में इसके 30 सुदृढ़ परिधीय संस्थानों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा, आईईसी सामग्रियों को व्यापक प्रचार के लिए परिषद की वेबसाइट पर भी डाला जाता है। परिषद ने जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (जेडीआरएएस), जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (जेआरएएस), और (जेआईएमएच) जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज नामक तीन इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं का शुभारंभ किया है और लोगों में अनुसंधान के परिणामों का प्रसार करने के लिए उन्हें निशुल्क में सार्वजनिक डोमेन पर डाला गया है। अब तक, परिषद ने लगभग 400 पुस्तकें, मोनोग्राफ और तकनीकी रिपोर्ट प्रकाशित की हैं, और उन्हें बड़े पैमाने पर आयुर्वेद के अनुसंधान परिणामों और गुणों का प्रसार करने के लिए बेचा या वितरित किया जा रहा है।

(vi) परिषद ने चार डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित किए हैं, अर्थात आयुष मैन्युस्क्रिप्ट एडवांस्ड रिपोजिटरी (एएमएआर), शोकेस ऑफ आयुर्वेदिक हिस्टोरिकल इंप्रिंटस (एसएएचआई), ई-मेडिकल हैरिटेज एक्सेसन (ई-मेधा), रिसर्च मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम (आरएमआईएस) और साथ ही आयुष रिसर्च पोर्टल नामक एक वेबसाइट का रखरखाव भी करती है जिसमें सभी आयुष पद्धतियों से संबंधित सभी प्रकाशित शोध जानकारी, शोध की व्यापक उपयोगिता और उपलब्धता के लिए व्यवस्थित रूप से अपलोड की जाती है। परिषद की वेबसाइट पर आम तौर पर आयुर्वेद पर जानकारी दी गई है और इसे अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइटों के साथ हाइपरलिंक किया गया है जो व्यापक उपयोगिता की जानकारी देते हैं।

(vii) आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) पूरे विश्व में अनुकरणीय संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रतिनिधि के तौर पर और ज्ञान-संपन्न व्यक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पेपर प्रस्तुत करने के लिए भाग लेती रही है। सीसीआरएच ने सहयोगात्मक अनुसंधान शुरू करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। लागों को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच) आरोग्य मेला, गंगासागर मेला, स्कूल स्वास्थ्य जांच आदि में भाग लेता है।

(viii) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) ने देश में विभिन्न तरीकों से यूनानी चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं जिनके तहत परिषद के 19 नैदानिक संस्थानों/इकाइयों द्वारा संचालित सामान्य ओपीडी, आरसीएच ओपीडी, वृद्धावस्था रोगी ओपीडी, एनसीडी क्लीनिक इत्यादि के माध्यम से उपचार किया गया है। परिषद आरोग्य मेलों, स्वास्थ्य मेलों, स्वास्थ्य शिविरों और प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से यूनानी चिकित्सा पद्धति को भी लोकप्रिय बना रही है।

यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए परिषद द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम और नैदानिक मोबाइल अनुसंधान कार्यक्रम के अलावा एससीएसपी/टीएसपी मोबाइल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले गांवों का चयन किया गया है ताकि विभिन्न रोगों के निवारक पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके और परिषद के विभिन्न केन्द्रों के माध्यम से रोगियों का उपचार किया जा सके। सीसीआरयूएम ने यूनानी चिकित्सा के अनुसंधान और विकास के लिए कतिपय देशों के साथ निम्नलिखित समझौते किए हैं।

- यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न केप, केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में यूनानी पीठ की स्थापना।
- यूनानी पीठ की स्थापना के लिए हमदर्द विश्वविद्यालय, बांग्लादेश के साथ समझौता ज्ञापन।
- यूनानी चिकित्सा के अनुसंधान और विकास के लिए ताजिकिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन।
- ईरान के साथ एम ओ एम।

(ix) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस) आरोग्य मेले आदि में भाग लेकर देश भर में सिद्ध चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। इस संस्थान ने तमिलनाडु से बाहर के लोगों में सिद्ध चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता पैदा की है। संस्थान सिद्ध चिकित्सा पद्धति के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित करता है जिनमें सिद्ध दिवस समारोह, सीएमई, कार्यशालाओं, सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन शामिल है।

*****